आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

25-4-2016

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
आर0 ई0 वाद सं0 29/2013–14
आवेदक–शम्भू राय
बनाम
विपक्षी–राम किशोर मंडल वगैरह
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के अन्तर्गत
आदेश

आवेदक द्वारा अपने मूल आवेदन में प्रार्थना की गई है कि मौजा कुसमाचक अन्तर्गत जमाबंदी सं0–07, दाग नं0–04 रकवा 02 बीघा 11 धूर जमीन उनके दादी भेदकी घटवारिन के पिता रामपति राय के नाम से खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत के दो पुत्रियाँ भेदकी एवं मुन्हा घटवारिन भी आवेदक भेदकी घटवारिन के पोता है। विपक्षीगण राम किशोर मंडल, पंकज मंडल एवं अमर मंडल सभी थाना राजमहल के द्वारा उक्त अनुसूची की भूमि पर जबरन कब्जा कर चाहर दिवारी का निर्माण किया जा रहा है। अतः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(क) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये अविलम्ब दखल दिहानी दिलाने की कृपा की जाए। बाद में आवेदक द्वारा एक संशोधन आवेदन देकर मूल आवेदन में जमाबंदी नं0–07 के स्थान पर जमाबंदी नं0–01 एवं मुन्हा घटवारिन को रामपति राय की 'पुत्री' के स्थान पर 'पत्नी' संशोधित करने की प्रार्थना करते हैं।

अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का घर बना हुआ है तथा विपक्षी ने गलत तरीके से दान पत्र द्वारा जमीन हासिल किया है। विपक्षी श्री राम किशोर मंडल तथा Intervenor कंचन राय तथा मटरू राय के द्वारा अलग–अलग कारण पृच्छा तथा लिखित बहस दाखिल करते हुये कहना है कि यह वाद चलाने योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा समर्पित वंशावली अधूरा है तथा कंचन राय एव मटरू राय क्रमशः खतियानी रैयत कैलु राय एवं रामपति राय के वंशज है। उक्त वाद स्वत्व से संबंधित है जिसका निस्तार सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकता है। विपक्षी उक्त भूमि पर आवेदक की जमीन पर नहीं बल्कि खतियानी रैयत कैलू राय एवं रामपति राय के अन्य वंशज का निर्मित मकान में मासिक किराए पर रह रहे है। अतः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(क) के तहत यह विच्छेदी का मामला नहीं है।

उभय पक्षों द्वारा निम्नांकित कागजात दाखिल किये गये हैं:–

1. गत् सर्वे एवं हाल सर्वे का पर्चा।
2. दान पत्र की प्रति।
3. टी0एस0 वाद सं0–09/1966 एवं टी0एस0 वाद सं0–01/1995 की प्रति।

अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि आवेदक वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूची नहीं ले रहे हैं। आवेदक को सुनवाई में भाग लेने हेतु कई बार तिथि निर्धारित किया गया। इसके बावजूद वे अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिसके फलस्वरूप एक पक्षीय सुनवाई की गयी।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया जाता है कि आवेदक एवं इन्टरमेनर के बीच स्वत्व को लेकर विवाद है जिसकी सुनवाई सक्षम न्यायालय में ही की जा सकती है तथा आवेदक के द्वारा दाखिल इस वाद की कार्यवाही में भी कोई अभिरूची नहीं है। साथ ही इस वाद में विपक्षी खतियानी रैयत के वंशजों के मकान में किराये पर रह रहे है जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(क) की परिधि में नहीं आता है। अतएव अभिरूची के आभाव में वाद की कार्यवाही समाप्त (Drop) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25/4/16
अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

25/4/16
अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner